(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)-5/2019 DATED 19-06-2023 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP-A(3)-5/2019 Dated, Shimla-2 19th June, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to further amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh;

Objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :-

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning Tenth Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of Appendix -9

2. For Appendix-9, appended to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 the following shall be substituted, namely:-

"APPENDIX 9
(See rules 13 and 14)

REGULATIONS FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION TOWERS.

1. The Policy communicated by the Department of Information Technology, Himachal Pradesh shall be applicable in all the Planning Areas and Special Areas in the State of Himachal Pradesh subject to the condition that minimum set backs as applicable

for residential buildings in that Planning Area or Special Area shall be applicable, in case tower is installed on ground. A Structural Stability Certificate of the building shall be mandatory for roof top towers and towers erected on ground.

2. In–building solutions for digital communications infrastructure shall be made as per provisions in addendum to Model Building Bye-Laws, 2016 and subsequent amendments from time to time which shall apply to all commercial, residential (including residential Cooperative Societies buildings), official buildings (including Government buildings), Multi-storey commercial buildings, Government/Private Hospitals, Commercial Complexes/Hotels (Including Home Stays/Bed and Breakfast (B&B)/Airports/Police Buildings etcetera located in Planning/ Special Areas constituted under the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and to those Real Estate Projects which require registration with Real Estate Regulatory Authority (RERA), Himachal Pradesh.

By Order

DEVESH KUMAR
Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याः टी0सी0पी0–ए (3)–5/2019 तारीख, शिमला–2, 19 जून, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते है, जिन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद् द्वारा राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाते है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले, यदि किसी व्यक्ति के, उक्त प्रारुप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप और सुझाव प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हैं, पर राज्य सरकार द्वारा इन प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 से सलंग्न परिशिष्ट–9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परिशिष्ट–9

(नियम 13 और 14 देखें)

संचार टावरों को लगाने (प्रतिष्ठापन) हेतु विनियम।

1 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संसूचित नीति हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में इस शर्त पर लागू होगी कि यदि टावर आधार पर प्रतिष्ठापित किया गया हैं तो उस योजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में आवासीय भवनों के लिए यथालागू न्यूनतम सेट

बैक लागू होंगे। छत के शीर्ष टावरों और आधार पर स्थापित टावरों हेतु संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र आज्ञापक होगा।

2 डिजिटल संचार अवसंरचना हेतु इन–बिल्डिंग समाधान मॉडल बिल्डिंग उप–विधि, 2016 की युक्तिका में उपाबन्ध के अनुसार बनाया जाएगा और समय–समय पर पश्चातवर्ती संशोधन को, नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपाबन्धों के अधीन गठित योजना/विशेष क्षेत्र में स्थित समस्त वाणिज्य, निवासीय (निवासीय सहकारी सोसाइटी भवन सम्मिलित), शासकीय भवन (सरकारी भवन सम्मिलित), बहुमंजिला वाणिज्यि भवन सरकारी/प्राइवेट अस्पताल, वाणिज्यि परिसर/होटल (होम स्टे/नास्ता एवं बिस्तर सम्मिलित)/विमानपत्तन/पुलिस भवन इत्यादि को लागु होगा और जिनके लिए उन भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), हिमाचल प्रदेश से रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।''

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्रम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार